हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि को प्रोत्साहन देने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। "ख" क्षेत्र में मंत्रालयों/विभागों के मुख्यालयों के लिये टंककों का अनुपात 25 प्रतिशत और अन्य कार्यालयों के लिये 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इस तरह "क" क्षेत्र के आशुलिपिकों पर भी यही अनुपात लागू होता है। टंकण यंत्रों के संबंध में भी यही अनुपात लागू होता है। आशुलिपिकों के अनुपात में कमी को 31-3-1990 तक तथा टंककों के अनुपात में कमी को 31-3-1989 तक पूरा किया जाना है।

"क" क्षेत्र में टिप्पण और आलेखन प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता 50 हजार शब्दों से घटाकर 20 हजार शब्द कर दी गई है। इससे अनेक ऐसे व्यक्तियों को देवनागरी में कार्य करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा, जिनके लिये 50 हजार शब्द लिखना कठिन था।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन

2047. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों में राजभाषा अधिनियम के उपबंधों और उसके वार्षिक कार्यक्रम की घोर उपेक्षा की जा रही है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या उपक्रमों में राजभाषा अधिनियम का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये निरीक्षण तथा जांच बिन्दुओं संबंधी कार्य को मजबूत किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने तथा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिये निरीक्षण एवं जांच-बिन्दुओं को सुदृढ़ बनाने सहित सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

12.00 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

I Report and Accounts (1986-87) of the Cycle Corporation of India Limited, Calcutta and related papers, , ,

II Report and Accounts (1986-87) of the Bharat Wagon and Engineering Company Limited, Patn$_a$ and related papers,

3H Report and Accounts (1986-87) of the Braithwaite and Company Limited, Calcutta and related papers.

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): Madam, I beg to lay on the Table—

,1. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A o£ the Companies Act, 1956:—

(i) (a) Sixth Annual Report and Accounts of the Cycle Corporation of Indi$_a$ Limited, Calcutta for the year 1986-87, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accep. ting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. LT-5701|88 for (a) and (b)].

(ii) (a) Eighth Annual Report and Accounts of the Bharat Wago$_n$ and Engineering Company Limited, Patna, for the yea$_r$ 1986-87, together wifh the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government acceting the above Report.

[Placed in Libarary. *See* No. LT-5699|88 for (a) and (b)].